राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : भीमसिंह लखावत, तहसीलदार

मिसल संख्या : 18/17

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 30.08.2017 निर्णय दिनांक : 03.10.2017

राजस्थान सरकार बनाम माणकचन्द, कालूराम, रामअवतार पि. रूघनाथ, शोभा देवी पत्नि लालाराम, सुनिता देवी पत्नि फूलचन्द, जाति धोबी नि0 कुचामन सिटी

–: उनवान :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीगण अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का कुचामन सिटी द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माणकचन्द पुत्र रूघनाथ धोबी वगैराह निवासी कुचामन सिटी नें ग्राम कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 1965 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर में से रकबा 0.65 हैक्टर किस्म गै.मु. बारानी प्रथम भूमि पर सम्वत 2074 में डोल लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। तामील कुलन्दा की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायलान लालाराम व फूलचन्द की मृत्यु होना पाई गयी। पटवारी हल्का द्वारा संशोधित सूचना प्रस्तुत की गयी, कि लालाराम, फूलचन्द पिता रूघनाथ धोबी की मृत्यु हो गयी है। उनकी पत्नि शोभा देवी व सुनिता देवी के विरूध अतिक्रमण की कार्यवाही कि जावे। पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार गैर सायलान शोभा देवी व सुनिता देवी के विरूध प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस जारी किये गये। नोटिस की प्रति गैर सायलान कालूराम तथा शौभा देवी, सुनिता स्वय ने प्राप्त किये। गैर सायलान अनुपस्थित रहे।

गैर सायलान आज दिनांक को भी अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई गैर सायलान का

अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि गैर सायलान ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

गैर सायलान को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा ग्राम कुचामन सिटी के आराजी राज खसरा नम्बर 1965 कुल रकबा 0.65 हैक्टेयर गै.मु. बारानी प्रथम भूमि में से रकबा 0.65 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप गैर सायलान पर लगाान 4.55 का पच्चास गुणा से राशि 228/– अक्षरे दौ सौ अठाईस रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को गैर सायल को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार लेकर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 03.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार

तहसील कुचामन सिटी

(भींमसिंह लखावत)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर –राज0